facie evidence of dumping/injury. The above fact was intimated to the petitioner in March 1994.

(e) Petitions alleging dumping of articles into India are being examined expeditiously in accordance with the above rules and GATT regulations and anti-dumping duty has been imposed wherever warranted. Format in which the information is to be furnished has been simplified and all necessary help is rendered to the domestic industry in filing the petitions. 6

US Administration's Action Under Special 301 against India

831. SHRI V. NARYANASAMY:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRIMATI VEENA VERMA
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the reported pleading of U.S. industry's representatives before the international trade sub-committee of the US Senate, urging the US administration to take action under special 301 against India;

(b) if so, what is Government's information about the reaction of the US Senate's sub-committe's and the US administration; and

(c) the Government's reaction thereon?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Yes, Sir.

(b) On June, 30 1994, the U.S. announced its decision not to designate India under the special 301 provision of U.S. Trade law as a Priority Foreign country but to place it on the Priority Watch List with an out-of-cycle review in January, 1995.

(c) The Government has noted the U.S. decision and expressed the hope that the multilateral rules emodied in the Uruguay Round Agreement would be respected by all singatories.

न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि

832. **श्री सुरेश कलमाडी :**
श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने का कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन क्षेत्र हैं जिनमें न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की गयी है और उस वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी का किस रूप में भुगतान किया जा रहा है और क्या इन असंगठित श्रमिकों का सही भुगतान हो, इसके लिये सरकार ने किसी तरह की योजना बनाई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने 12-7-1994 की अधिसूचना के द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में आने वाले खनन, भवन-निर्माण एवं रेलवे के क्षेत्रों में 39 अधिसूचित रोजगारों में नियोजित श्रमिकों की मूल मजदूरी की न्यूनतम दरों एवं विशेष भत्तों की दरों में संशोधन किया है । न्यूनतम मजदूरी की संशोधित दरें दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । **(नीचे देखिए)**

(ग) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों की अकुशल

श्रेणी हेतु मजदूरी की न्यूनतम दरों को दर्शाने वाला विवरण–II (नीचे देखिए) जैसा सरकार के पास उपलब्ध है, संलग्न है । कर्मकारों को देय मजदूरी प्रदान की जाए यह सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत एक प्रवर्तन तंत्र गठित कर दिया है ।

विवरण

केन्द्रीय क्षेत्र में 39 अनुसूचित रोजगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें

खनन

(जिप्सम खानें, बाराईटस खानें, बाक्साईट खानें, मैंगनीज खानें, चीनी मिट्टी खानें, क्रोमाइट खानें, क्वार्टजाईट खानें, सिलिका खानें, काइनाइट खानें, तांबे की खानें, चिकनी मिट्टी खानें, पत्थर की खानें, सफेद चिकनी मिट्टी की खानें, गेरू की खानें, राख की खानें, स्टेराइट, (सेल खड़ी तथा पाउडर सहित) खानें, एस्बेस्टस खानें, मैगनेसाईट खानें, ग्रफोइटखानें, फेल्सपार खानें, रेडआॅक्साइड खानें लैटराइट खानें, डोलोमाइट खानें, लौह अयस्क खानें, ग्रेनाइट खानें, बालफेम खानें, मैगनेटाइट खानें, रॉकफास्फेट खानें, हमेटाइट खानें, मार्बल तथा कालसाइट खानें, यूरेनियम खानें, तथा अभ्रक खानें) ।

मूल मजदूरी

कर्मकार की श्रेणी	संशोधित मूल मजदूरी भूमि के ऊपर	(रु० प्रति दिन) भूमिगत
कुशल	28.00 रु०	34.00 रु०
अर्ध कुशल	34.00 रु०	50.00 रु०
कुशल/लिपिकीय	41.00 रु०	50.00 रु०
अत्याधिक कुशल	60.00 रु०	60.00 रु०

विशेष भत्ता

कर्मकारों की श्रेणी	अ०भा०उ०म० सूचकांक में 1281 से आगे चार अंक की वृद्धि के लिए विशेष भत्ते की संशोधित दर	
	भूमि के ऊपर	भूमिगत
अकुशल	9 पैसे	11 पैसे
अर्ध कुशल	11 पैसे	13 पैसे
कुशल/लिपिकीय	13 पैसे	16 पैसे
अत्यधिक कुशल	15 पैसे	19 पैसे

निर्माण

(सड़कों का निर्माण अथवा रखरखाव और इमारती प्रचालनों में, इमारतों का रख-रखाव, धावन पथों का निर्माण और रख रखाव तथा पत्थर तोड़ना अथवा पत्थर कूटना)

मूल मजदूरी

कर्मकारों की श्रेणी	क्षेत्र (रुपए प्रतिदिन)		
	क	ख	ग
अकुशल	36.00 रु०	34.00 रु०	28.00 रु०
अर्ध कुशल	43.00 रु०	41.00 रु०	34.00 रु०
कुशल/लिपिकीय	57.00 रु०	51.00 रु०	43.00 रु०
अत्याधिक कुशल	65.00 रु०	63.00 रु०	51.00 रु०

विशेष भत्ता

कर्मकारों की श्रेणी	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1281 से आगे चार अंक की वृद्धि के लिए विशेष भत्ते की संशोधित दरें ।		
	क्षेत्र		
	क	ख	ग
अकुशल	11 पैसे	11 पैसे	9 पैसे
अर्ध कुशल	13 पैसे	13 पैसे	11 पैसे
कुशल	16 पैसे	16 पैसे	14 पैसे
अत्याधिक कुशल	20 पैसे	20 पैसे	16 पैसे

रेलवे

(रेलवे भंडारगृहों में सामान लादन/उतारना तथा राख के गड्ढों की सफाई।

इन नियोजनों में कार्य अकुशल प्रकृति का ही है)

मूल मजदूरी

क्षेत्र	संशोधित मूल मजदूरी (रु० प्रतिदिन)
क	42.00 रु०
ख	33.00 रु०
ग	29.00 रु०

विशेष भत्ता

क्षेत्र	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1281 आगे दस अंक की वृद्धि के लिए विशेष भत्ते की संशोधित दर ।
क	33पैसे
ख	26 पैसे
ग	23 पैसे

विशेष भत्ते को हर छमाही में औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर संशोधित किया जाता है।

विवरण–II

खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दरें

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	खेतिहर मजदूरों के लिए न्युनतम मजदूरी
1	2	3
(क)	राज्य सरकार :	
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.80 रु० से 23.40 रु० प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (8–4–91)
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.00 रु० से 21.00 रु० प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (1–11–90)
3.	असम	1134.00 रु० प्रतिमाह अथवा 984.00 रु० प्रतिमाह जमा भोजन, आवास तथा कपड़े (1–2–90)
4.	बिहार	21.00 रु० प्रतिदिन (16–10–90)
5.	गोवा	27.50 रु० प्रतिदिन (5–2–92)
6.	गुजरात	15.00 रु० प्रतिदिन (1–8–90)
7.	हरियाणा	37.23 रु० भोजन सहित अथवा 41.23 रु० बिना भोजन के (1–1–93)
8.	हिमाचल प्रदेश	24.00 रु० प्रतिदिन (6–1–90)
9.	जम्मू और कश्मीर	15.00 रु० प्रतिदिन (24–3–89)
10.	कर्नाटक	12.00 रु० से 17.65 रु० प्रतिदिन (12–7–88)
11.	केरल	30.00 रु० से 40.00 रु० प्रतिदिन (31–3–92)
12.	मध्य प्रदेश	28.17 रु० प्रतिदिन (1–10–91)
13.	महाराष्ट्र	12.00 रु० से 20.00 रु० प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार) (1–5–88)

1	2	3
14.	मणिपुर	26.70 रु0 प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए तथा 23.70 रु0 प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा (1-12-88)
15.	मेघालय	35.00 रु0 प्रतिदिन (16-3-94)
16.	मिजोरम	28.00 रु0 प्रतिदिन (1-11-87)
17.	नागालैण्ड	25.00 रु0 प्रतिदिन (6-7-92)
18.	उड़ीसा	25.00 रु0 प्रतिदिन (1-7-90)
19.	पंजाब	42.12 रु0 बिना भोजन के अथवा 38.12 रु0 भोजन सहित प्रतिदिन (1-3-92)
20.	राजस्थान	22.00 रु0 प्रतिदिन (2-7-90)
21.	सिक्किम	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को अभी लागू किया जाना है ।
22.	तमिलनाडु	20.00 रु0 प्रतिदिन (6-4-93)
23.	त्रिपुरा	23.65 रु0 प्रतिदिन (20-12-93)
24.	उत्तर प्रदेश	23.00 रु0 प्रतिदिन से 25.00 रु0 प्रतिदिन तक (7-1-92)
25.	पश्चिम बंगाल	32.72 रु0 प्रतिदिन 29.52 रु0 प्रतिदिन जमा दो मुख्य भोजन (1-7-93)
26.	अण्डमान एवं निकोबार	27.00 रु0 प्रतिदिन (अण्डमान) 28.00 रु0 प्रतिदिन (निकोबार) (13-8-92)
27.	चण्डीगढ़	36.43 रु0 प्रतिदिन भोजन सहित अथवा 40.23 रु0 प्रतिदिन बिना भोजन के (1-3-92)
28.	दादरा एवं नागर हवेली	20.00 रु0 प्रतिदिन (15-12-92)
29.	दिल्ली	53.15 रु0 प्रतिदिन (1-2-94)
30.	दमन एवं दीव	22.00 रु0 प्रतिदिन (19-3-93)
31.	लक्ष्यद्वीप	30.00 रु0 प्रतिदिन (1-1-93)
32.	पांडिचेरी	
(क)	(i) पांडिचेरी क्षेत्र	14.00 रु0 प्रतिदिन (15-12-89)
	(ii) माहे क्षेत्र	12.00 रु0 प्रतिदिन हल्के कार्य के लिए (18-2-87) 15.00 रु0 प्रतिदिन कठिन कार्य के लिए (18-2-87)
	(iii) यनम क्षेत्र	11.00 रु0 प्रतिदिन (15-3-88)
	(iv) कराईकल	14.00 रु0 प्रतिदिन अथवा 7 लीटर धान जमा 4.90 रु0 प्रतिदिन (31-3-90)
(ख)	केन्द्रीय क्षेत्र	38.47 रु0 प्रतिदिन (1-4-94)